


174

महाम प्रवेश

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष



भुवनेश्वर सिंह तनय श्री रंगप्रताप सिंह निवासी बिहारगंज थाना तहसील
रामनगर जिला सतना म.प्र.आवेदक/निगराकार



R-1346-I/12

विरुद्ध

जय प्रकाश एसोसियेट्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय सेक्टर 128 नोएडा उ.प्र.
द्वारा श्री व्ही.सी. श्रीवास्तव तनय स्व० श्री जी०सी० श्रीवास्तव जे.पी. सीमेंट
प्लांट मझगंवा जिला सीधी म.प्र.अनावेदक/गैरनिगराकार

4-3-12

अधिवक्ता श्री नरेन्द्र महिषा
द्वारा प्रस्तुत
रीवा, दिनांक 19.4.2012

Am/19.4.12

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा निगरानी
प्र.क्र. 785/निगरानी/07-08 आदेश
दिनांक 17.02.2012
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.
भू-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत

मान्यवर,

निगरानी आवेदक के द्वारा प्रस्तुत कर विनय है :-

1. यह कि निगराकार/आवेदक की जमीन मौजा बिहारगंज तहसील रामनगर के अन्तर्गत थी जिसका वह काबिज भूमिस्वामी था। अनावेदक ने आपसी विश्वास के आधार पर तथा धोखा देकर जमीन क्रय किया तथा यह आश्वासन दिया कि आवेदक के परिवार के सदस्यों को नौकरी देगा। आ०नं० 131 एवं आ०नं० 48 में स्थित मकान बगीचा का मुआवजा अलग से भुगतान करेगा तथा पेड़ पौधों का मुआवजा भी अलग से भुगतान करेगा। अनावेदक के द्वारा किसी भी शर्त का पालन नहीं किया गया और चोरी छिपे बिना आवेदक को तलब कराये तहसील कार्यालय रामनगर के


M

U2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र. नि.1346/I/12

जिला-सतना

(1)	(2)	(3)
27.10.16	<p>अनावेदक के अधिवक्ता श्री नूतन अग्रवाल द्वारा उपस्थित होकर बताया गया है कि, प्रकरण में आवेदक की मृत्यु हो चुकी है। उनकी ओर से 12 पेशियों से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण में कोई उपस्थित न होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

✓

044